भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2181

जिसका उत्तर गुरुवार, 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

ट्रायल कोर्ट में रिक्तियों की संख्या

2181 श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी:

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2016 से 2022 के बीच मुकदमों के मामले 2.65 करोड़ से बढ़कर 4.11 करोड़ हो गए हैं ;

(ख) क्या वर्ष 2016 से ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) ट्रायल कोर्ट में रिक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(घ) ट्रायल कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या कितनी है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : वर्ष 2016 और 2022 में लंबित मामलों की संख्या के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

न्यायालय का नाम	**2016 में लंबित मामले**	**2022 में लंबित मामले**
उच्चतम न्यायालय	62,537	72,062 (01.07.2022 को)
उच्च न्यायालय	40,28,591	59,55,907 (29.07.2022 को)
जिला और अधीनस्थ न्यायालय	28,248,600	424,70,800 (29.07.2022 को)

न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है । यद्यपि विभिन्न न्यायालयों में मामलों को संस्थित करना और उनका निपटान करना एक सतत् प्रक्रिया है, संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए समय-सीमा विहित नहीं है । न्यायालयों में मामलों के निपटान में सरकार की कोई सीधी भूमिका नहीं होती है । न्यायालयों में समय पर मामलों का निपटान अनेक कारको पर निर्भर करता है जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की पर्याप्त संख्या, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद और भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, अंतवर्लित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् विधिज्ञ, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों और वादकारियों का सहयोग और नियमों तथा प्रक्रियाओं का उचित उपयोजन भी है । ऐसे कई कारक हैं, जो मामले के निपटान में विलम्ब कर सकते हैं । इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों की मानीटरी, उनका पता लगाना और एकत्रित करना भी सम्मिलित हैं । केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटान और लंबित मामलों में कमी करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक ईको प्रणाली का उपबंध करने के लिए अनेक पहल की हैं ।

न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ किया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों को चरणबद्ध रुप से कम करने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन का विकास भी है ।

(ख) : जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या और कार्यरत पद संख्या के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारी	**30.06.2016 को**	**29.07.2022 को**
स्वीकृत पद संख्या	21,320	24,631
कार्यरत पद संख्या	16,383	19,288

भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबद्ध उच्च न्यायालय में निहित होता है । इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य सरकारें, संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति आरक्षण, सेवानिवृत्ति के मामलों से संबंधित नियम और विनियम विरचित करती है । अत:, जहां तक राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती का संबंध है, कतिपय राज्यों में यह संबंधित उच्च न्यायालय करते हैं, जबकि अन्य राज्यों में यह राज्य लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके उच्च न्यायालय करते हैं ।

संविधान के अधीन संघ सरकार की, जिला/अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के चयन और नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है । उच्चतम न्यायालय ने मलिक मजहर सुल्तान मामलें में अपने 4 जनवरी, 2007 के आदेश में अधीनस्थ न्यायापालिका की रिक्तियों को भरने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और समय सीमा प्रकल्पित की है जो यह नियत करती है कि अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती की प्रक्रिया कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च से प्रारंभ होगी और उसी वर्ष के 31 अक्तूबर तक समाप्त होगी । उच्चतम न्यायालय ने राज्य की विशिष्ट **भगोलिक और जलवायु स्थितियों या अन्य सुसंगत स्थितियों के आधार पर किन्हीं कठिनाइयों की दशा में समय अनुसूची में परिवर्तन करने के लिए राज्य सरकारों/उच्च** न्यायालयों को अनुज्ञात किया है । माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निदेशों के अनुपालन में, न्याय विभाग ने सभी उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रारों को आवश्यक कार्रवाई के लिए मलिक मजहर के निर्णय की एक प्रति भेजी थी । न्याय विभाग सभी उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रारों को अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्ति भरने में मलिक मजहर सुल्तान मामले द्वारा आज्ञापित तेजी लाने के लिए समय समय पर लिखता रहता है ।

(ग) : 29.07.2022 को, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों की संख्या 5,343 है ।

(घ) : 29.07.2022 को, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 4,24,70,800 है ।

****